राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

विषयः— विशेष योग्यजन आरक्षण से पद विशेष हेतु छूट बाबत।

जैसा कि विदित है, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24—01—2019 को राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 को अधिसूचित कर राज्य सरकार के अंतर्गत नौकरियों में आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया है।

The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 की धारा 34(1) एवं संदर्भित नियमों के नियम 6 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि किसी पद विशेष को प्रशासनिक विभाग द्वारा किसी Disability के लिए उपयुक्त नहीं माना जाए तो वे कारण सहित (औचित्य बताते हुए) उस पद के लिए विशेष छूट ले सकेंगे। यदि किसी पद के लिए ऐसी छूट नहीं ली जाती है तो दिव्यांगजनों हेतु 4 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य होगा।

आपके विभाग के अधीन यदि ऐसे कोई पद हैं जिनके संदर्भ में दिव्यांगजन आरक्षण से छूट उनके कार्यविवरण को देखते हुए आवश्यक हो तो ऐसे प्रस्ताव निदेशक विशेष योग्यजन को दिनांक 22/10/2019 से पूर्व आवश्यक रुप से भिजवाए, जिससे नियम 6(2) के अन्तर्गत गठित समिति की मीटिंग आयोजित कर उचित निर्णय लिया जा सके।

सभी प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा है कि वे संदर्भित नियमों एवं इस क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अशा.टीप संख्या 7(2) कार्मिक/क—2/2019 दिनांक 18.09.2019 के अनुसार भर्ती में दिव्यांगजन हेतु आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अशा टीप संख्या— एफ 16(1)( )वि.यो./2019/ 8789
जयपुर, दिनांकः 25/9/19